न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 03/2016
RCMS Case No. 2016/00061

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
नरेन्द्रसिंह पुत्र अजीतसिंह जाति राजपूत निवासी बेड़ा तहसील बाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक : 19.2.2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार बेडा द्वारा प्रकरण संख्या 630/2015 में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नम्बर 789 रकबा 1.87 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 मगरा की भूमि आई हुई स्थित है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि में से 0.2400 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण दर्शाते हुए तहसीलदार बाली के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार बाली द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट के नाम नोटिस जारी किया, जो अपीलाण्ट को तामील हुए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की उपस्थिति दर्ज करते हुए जैर अपील आदेश पारित कर दिया। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का पुराना कब्जा काश्त है, जिसके कारण अपीलाण्ट का प्रकरण नियमन योग्य था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया। अतः अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावें

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नम्बर 789 रकबा 1.8765 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 मगरा में से 0.2400 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर काश्त करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार बाली के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर तहसीलदार बाली द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपीलाण्ट को उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाकर अपीलाण्ट को बेदखल करने एवं अतिक्रमण करने के कारण जुर्माना आरोपित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अति. जिला कलक्टर, पाली

विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का बेडा । द्वारा उप तहसीलदार बेडा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नरेन्द्रसिंह पुत्र अजीतसिंह द्वारा ग्राम बेडा । के खसरा नम्बर 789 रकबा 1.8765 किस्म गै0मु0 मगरा में से 0.24 हैक्टेयर भूमि पर तिल की काश्त कर अतिक्रमण किया है तथा रिपोर्ट में उक्त अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना जाहिर किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया। उक्त दिनांक को अपीलाण्ट की उपस्थिति में जैर अपील आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट को बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किए। अपीलाण्ट का यह कथन है कि प्रकरण नियमितिकरण योग्य था, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसे किसी अनुतोष की मांग ही नहीं की तथा न ही किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपना पुराना कब्जा होना जाहिर किया है, जो उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के अतिक्रमण को साबित करता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को वादस्थ भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किए है, जिनमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा उप तहसीलदार बेडा द्वारा प्रकरण संख्या 630/2015 में पारित निर्णय दिनांक 12.10.2015 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी अधीनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19.2.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली